

Disposal
I

पी० पदा० का आदेश के साथ हस्ता०

टिप्पणी

प्रथम सूचना पत्र जप्ती सूची के साथ धारा 37 बि० मद्य नि० एवं उत्पाद अधि० 2016 एवं संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। देखा। पंजीबद्ध करें। आरोप पत्र/अंतिम प्रपत्र की प्रत्याशा में अभिलेख प्रस्तुत करें।
लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायाधीश 02

16.03.

23
बाद में

इस वाद के अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त दीपक कुमार झा उम्र- 30 वर्ष, पे० कामदेव झा, सा० स्तनगंज, थाना सजौर जिला भागलपुर गिरफ्तार कर अग्रसारण प्रतिवेदन, गिरफ्तारी मेमो, चेक लिस्ट, वाद दैनिकी की छाया प्रति एवं चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन के साथ उचित आरक्षी बल के अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण से पूछे जाने पर कहते हैं कि गिरफ्तारी की सूचना उनके घरवालों को दे दी गई है। अभियुक्तगण को लाने वाले आरक्षी बल के विरुद्ध कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं करते हैं। कानूनी सहायता के बारे में पूछे जाने पर कहते हैं कि अपना अधिवक्ता स्वयं रखेंगे। रिमाण्ड अधिवक्ता उपस्थित है। उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 37 बि० मद्य नि० एवं उत्पाद अधि० 2016 एवं संशोधित अधिनियम 2018 का अभियोग है, जो जमानतीय है परंतु अभियुक्त ने वर्तमान में जमाने के राशि देने से इन्कार किया गया है।

तथा वाद दैनिकी में अभियुक्तगण को रिमाण्ड करने का पर्याप्त आधार है। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दिनांक 29.3.23 को पुनः उपस्थापन हेतु को केन्द्रीय कारा भागलपुर भेजा जाता है
लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायाधीश 02

22-03-23

अपराधी अभियुक्त दीपक कुमार झा कास से पब्लिश-पल्लुत किया गया। अभियुक्त कास 37 विचार मद्य विषेय उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अपेक्षा से दोष स्वीकार किये। प्रचणवार दोषी आता मो० 2500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) अर्थ फंड की सधि जमा। अन्तर्गत अपराधिक घने वाली से मुक्त किया गया। अपराधी अभियुक्त को कास से मुक्त करने हेतु प० निगमि करे। अगिलेप का निष्पादन किया गया।

लेखापित

वि० भा०/उ०

एक हस्ताक्षर ०७ के साथ
मि० सी०
६/९ रा०
पारसना
हिपक कुमार झा

16/3/23